उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
Uttar Pradesh Gramin Bank

सार्वजनिक बिक्री/ नीलामी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

क्षेत्रीय कार्यालय-गोरखपुर प्रथम, बुद्ध विहार कामर्शियल काम्प्लेक्स, तारामण्डल, गोरखपुर-273016

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है।

यह कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(2) सहपठित नियम 8 एवं 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋणकर्त्ताओं/गारन्टीकर्ताओं को माँग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की माँग की गयी थी। यह की निम्नलिखित ऋणकर्त्ताओं/गारंटीकर्त्ताओं बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। अतः एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं/गारन्टीकर्ताओं और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य कर लिया है जिसका विवरण अधोवर्णित है। ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस प्रकार का लेन-देन न करें। यह सम्पत्ति उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि, ब्याज और अन्य खर्चे देय हैं।

यह कि एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं ऋणकर्ताओं/गारन्टीकर्ताओं को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पतियों की निविदा/बिड्स/कोटेशन आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। अतः निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेन्डर बंद निविदा के माध्यम से नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार **उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बशारतपुर शाखा, गोरखपुर** में प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी/बन्धककर्ता का नाम / शाखा / खाता सं.	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि/ नीलामी/कब्जा/मांग सूचना दिनांक/कब्जे का प्रकार	अरक्षित मूल्य/धरोहर राशि धनराशि (रुपये में)/ EMD दिनांक / Bid Open दिनांक
1	**ऋणी- श्रीमती सीमा शाही** पत्नी श्री ब्रजेश शाही, **गारंटीकर्ता:** श्री ब्रजेश कुमार शाही और श्री सत्येन्द्र कुमार शाही। **बंधककर्ता:** श्रीमती सीमा शाही पत्नी श्री ब्रजेश शाही **शाखा-** बशारतपुर **खाता संख्या - 63140600000150** **खाता संख्या - 63140500000031**	**सम्पत्ति की मालिक-** श्रीमती सीमा शाही पत्नी श्री ब्रजेश शाही, **सम्पत्ति स्थिति-** अराजी संख्या- 101 मी, मौजा- जंगल मातादीन, तप्पा और परगना- हवेली, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। सेल डीड क्रमांक 5399 दिनांक 10-10-2008, क्षेत्रफल- 68.23 वर्ग मीटर/ 734.146 वर्ग फीट। **चौहद्दी- उत्तर-** धर्मेंद्र का मकान, **दक्षिण-** 20 फुट चौड़ी सी.सी. सड़क, **पूर्व-** रामकेवल और राजाराम का मकान, **पश्चिम-** 13 फुट चौड़ी सी.सी. सड़क	**रु. 20,31,820.25** + ब्याज प्रभावी + अन्य व्यय **नीलामी दिनांक** 24.03.2026 **मांग सूचना दिनांक** 02.06.2025 **कब्जा दिनांक** 08.08.2025 **कब्जे का प्रकार** सांकेतिक	**रु. 38,12,400/-** **रु. 3,81,240/-** **24.03.2026 अपराह्न 11.00 बजे तक** **24.03.2026 सायं 4.00 बजे**

नियम एवं शर्तें:- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो **प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बशारतपुर शाखा, गोरखपुर** के नाम देय हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी। 3. सफल निर्विदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि के सहित अगले दिन बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट/NEFT के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 75 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जब्त कर ली जायेगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची /समस्त निविदा को स्वीकार/अस्वीकार/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति से सम्बंधित किसी चार्ज, लियन, इन्काम्बरेंस, टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय/अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती है तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह उनके बीच आपस में पुनः विडिंग करा लें। 8. निविदा/विक्रय बैंक के द्वारा पुष्टि होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है" तथा "जहाँ है जैसी है" के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी/जमानतदार नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rule में 2002 (By the Security Interest/Enforcement/ Amendment Rule में 2002 धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी/जमानतदार को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आस्ति को उन्मोदित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ले, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु सम्बन्धित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02:00 बजे से 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋणकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं के लिये विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिये सामान्य रूप से है। 12. कृपया उपरोक्त नीलामी से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋणग्रहीता/जमानतदारों/विधिक उत्तराधिकारियों को 30 दिन की नोटिस दी जाती है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 25.02.2026 | **स्थान: गोरखपुर** | **प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक**